न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती शान्ता पत्नी बाबुलाल जी (पुत्री धुली बाई पत्नी लाला जी डांगी), निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलार्थीया

बनाम

1. मोहनी पत्नी मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगदीश पिता मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. हरिश पिता मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. हेमराज पिता मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. रेखा पुत्री मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
6. लोगर पिता दूदा जी डांगी, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. मोहनी पत्नी स्वर्गीय दौलतराम जी पत्नी दूदा जी डांगी, निवासी डांगियों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. रामलाल पिता गंगाराम जी, निवासी खरबडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. गुनिया पिता गंगाराम जी, निवासी खरबडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 29.02.2012 प्र.सं. 287/10

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री आलोक जैन अभिभाषक अपीलार्थीया
2– श्री कमलेष चौहान राजकीय अभिभाषक

———:———

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.12.14 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 09–11–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी मेघा द्वारा सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कानपुर में साबिक आराजी नंबर 258 रकबा 11 बिस्वा व 1209 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 219 रकबा 0.1150 हैक्टर व 1874 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.1450 हैक्टर हैं। उक्त भूमि श्री हीरा पिता रतना डांगी के खातेदारी व आधिपत्य की थी। हीरा के दो पुत्र रामा व मोती हुए। रामा के तीन पुत्र जगन्नाथ, भेरा व जेता हुए तथा मोती का पुत्र वादी मेघा है। इस प्रकार हीरा के मृत्यु के बाद रामा व मोती 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार हुए तथा रामा की मृत्यु होने पर उसके वारिस जगन्नाथ, भेरा व जेता 1/2 हिस्से के तथा वादी मोती 1/2 हिस्से का खातेदार हुआ, जो जमाबन्दी संवत 2019 से 2020 में दर्ज है, किन्तु संवत 2031 से 2034 की जमाबन्दी में जगन्नाथ, भेरा व जेता पिता रामा डांगी 1/2 हिस्सा व मोती वल्द हीरा ब्राहमण 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया, जबकि मोती वल्द हीरा डांगी दर्ज होना चाहिए था। मोती का देहावसान हो गया है जिसका एक मात्र पुत्र वादी ही है। अतः इन्द्राज दुरस्ती की जाकर ब्राहमण के बजाय डांगी अंकित किया जावे तथा मोती के बजाय वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29–02–2012 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेष चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वकील अपीलार्थीया व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थीया द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि चूंकि वे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने धारा 5 के आवेदन पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–02–2012 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है। जबकि 60 दिवस में अर्थात दिनांक 28–04–2012 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील करीब 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलार्थीया द्वारा बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं न ही 7 वर्ष विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–02–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती शान्ता पत्नी बाबूलाल पुत्री धुलीबाई पत्नी लाला डांगी, नि. एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मोहनी पत्नी मेघा जी डांगी, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जि. उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**27 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**02**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**....माह.....**11**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आलोक जैन**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–02–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**11**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.12.14 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested